बिहार सरकार
कृषि विभाग, बिहार, पटना

(9)

पत्रांक–NHM/BHDS/116/2020-

NHM/ पटना दिनांक 2020

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय : **कोविड–19 (COVID-19) महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के दौरान मधुमक्खी बॉक्स के परिवहन पर छूट देने के संबंध में।**

प्रसंग : **स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का शुद्धि पत्र संख्या–160 (H.S.) 24.03.2020, एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक–40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 25.03.2020 तथा 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 27.03.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि मधुमक्खी पालन एक कृषि कार्य है। जिसका फसलों के परागण क्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पालन कार्य के प्रभावित होने से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है। यह समय मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है, जिसमें मधुमक्खी पालकों के द्वारा मधुमक्खी बक्से को विभिन्न जगहों पर परागण (pollination) कार्य हेतु ले जाना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए मधुमक्खी पालक राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर भी वाहन में अपने मधुमक्खी बक्सा को लेकर जाते है।

अनुरोध है कि जिलान्तर्गत सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश देना चाहेंगे कि मधुमक्खी बक्सा के परिवहन में अनावश्यक परेशानी पैदा न की जाय, जिससे की राज्य में बेहतर मधु उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके तथा मधुपालकों के हित में रक्षा की जा सके। मधुमक्खी बक्से के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा परिवहन के दौरान Personal Hygiene एवं Social Distancing का ध्यान रखा जायेगा।

विश्वासभाजन

31/03/2020

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 697

NHM/ पटना दिनांक 31/3/ 2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी, पुलिस महानिरीक्षक/सभी, उप पुलिस महानिरीक्षक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी, सहायक निदेशक उद्यान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/2020

O/C

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

Scanned with CamScanner